

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

29/6/18

8

पत्रावली पेश हुई। पक्षाकारों द्वारा पंजीयन  
दस्तावेज पेश किए। पत्रावली का अवलोकन  
किया। आदेशिका 13/06/18 अनुसार  
पंजीयन दस्तावेज पेश किए जा चुके हैं।  
अतः याद राजीनामा अनुसार इली स्वर  
पर विद्वे किया जाता है। पत्रावली  
कुलका कुमार एकर दाखिल इफर है।

सहायक कलेक्टर  
(SDO) चौहटन

13/06/18

पत्रावली न्याय आपके द्वार 248 लोक  
अदालत / कोर्ट केमरा केमरा में पेश हुई  
पक्षकार उप० हुए। पक्षकारी ने उप० होकर  
राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश कर  
निवेदन किया कि हम वादीगण एवं प्रति-  
वादीगण लोक अदालत को भावना से  
इस प्रकार सहमत है कि वादीगण को  
प्रतिवादी सं. 1 व 2 जो पुरखा डे वारिस  
वंशज हैं 10.00 बीघा भूमि आपसी  
राजीनामे से वादीगण की भूमि से लगते  
हुये खेदे पर जरिये पंजीकृत बेचान से डेडी  
पंजीकृत बेचान का खर्चा वादीगण वहन  
करेंगे। वादीगण प्रतिवादीगण से 10.00  
बीघा भूमि लेने के बाद अपना दावा वापस  
ले लेंगे तथा वादीगण एवं उनके वंशज कभी  
इसकी अपील अथवा नया दावा पेश नहीं  
करेंगे। इस पत्रावली पंजीकृत दावा वंश  
की क्षायाक्षम परादोने पर विद्वे की  
जा० न्यायादाल में पक्षकारों का राजीनामा  
स्वीकार कर 2 गजिल पत्रावली भिजा गया है।  
पंजीकृत दावा वंश की क्षायाक्षम परादोने  
पर पत्रावली तलब होकर विद्वे की  
जा०

13/06/18

R.T.  
वीरभारत

R.T.  
मैसूर

जो न्यायाधीश

R.T.  
वीरभारत

पत्रावली

13/06/18

खेताप

रावताप

L.T.  
जो न्यायाधीश

L.T.  
कुमार

कापूर

राज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौहटन  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)  
केम्प कोर्ट का स्थान :- केकड, सेडवा

राजीनामा प्रपत्र

सेवा में

दिनांक 18.06.2018

श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय,  
स्व. उपखण्ड अधिकारी चौहटन  
जयराम कोर्ट

बनाम चूनाराम कोरा

प्रकरण संख्या 99/2012

अन्तर्गत धारा 88, 188 Ray. Tenancy Act 1955

महोदय, उपयुक्त प्रकरण में प्रार्थी/शारी श्री ..... का निवेदन है, कि उक्त उनवान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो चुकी है एवं अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं। हमारा आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :-

हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण लोकअदालत की भावना से इस प्रकार सहमत हैं कि वादीगण को प्रतिवादीगण 1 व 2 जो पुरखा के वेशज है 10 बीघा भूमी आपसी राजीनामे से वादीगण की भूमी से लगते हुये सेडे पर जरिये पेजीकृत ब्रेयान से देंगे। पेजीकृत ब्रेयान का खर्चा वादीगण वहन करेंगे। वादीगण प्रतिवादीगण से 10 बीघा भूमी लेने के बाद अपना दावा वापस ले लेंगे तथा वादीगण एवं इनके वेशज सभी इसकी अपील अपना नया दावा पेश नहीं करेंगे।  
अतः श्रीमान् से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमों का निस्तकरण करने की कृपा करें।  
प्रतिवादी पक्ष 1. ....  
2. ....  
3. ....  
4. ....

चक्रेन्द्र  
L.T.  
जयाराम

चौहटन  
जयाराम

R.T.  
वीरभारत  
R.T.  
अरि

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
(वादी पक्ष) नाम जयाराम  
प्रार्थी  
2 विकतराम  
R.T. जयाराम

पहचानकर्ता के हस्ताक्षर  
(प्रतिवादी पक्ष) नाम .....  
एवं अप्रार्थी / प्रतिवादी .....  
द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामों की इबारत को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया गया एवं राजीनामा हस्तखत/हिस्सा पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

(ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य) (ह0 सदस्य)

चौहटनराम

पीठासीन अधिकारी  
सहायक कलक्टर  
(SDO) चौहटन

चौहटन